

¹[प्ररूप सं. 10ख

[नियम 16गग और 17ख देखिएं]

ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट ।

1. आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.4.2023** से प्रतिस्थापित।

*मैने/हमने [ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम] तारीख.....को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय का लेखा या लाभ तथा हानि लेखा की जांच की हैं जो ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप है।

*मैने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

*मेरी/हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां उपाबंध की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी गई है :

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपाबंध में दी गई विशिष्टियां निम्नलिखित संप्रेक्षणों या अर्हताओं के अधीन सत्य और सही हैं—

(क).....

(ख).....

(ग).....

* मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और उचित अवलोकन दिए गए हैं—

(i) तुलन-पत्र की दशा में, तारीख.....को ऊपर नामित निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की स्थिति ; और

(ii) आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा की दशा मेंको निम्नलिखित संप्रेक्षणों/अर्हताओं के अधीन समाप्त होने वाले लेखा वर्ष की आय और उपयोग या लाभ या हानि-

(क).....

(ख).....

(ग).....

विहित विशिष्टियां इसके साथ संलग्न हैं।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षरित अकाउंटेंट +

नाम

सदस्यता संख्या

पता

टिप्पण:

1. *जो लागू न हो उसे काट दे।
2. यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी।
3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी भी मामले का नकारात्मक या अर्हता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे।

**उपाबंध
विशिष्टियों का विवरण**

आधारिक ब्यौरे	1.	संपरीक्षिती का पेन	ए	बी	सी	डी	ई	1	2	3	4	एफ		
	2.	संपरीक्षिती का नाम												
	3.	निर्धारण वर्ष												
	4.	पूर्व वर्ष	दि	दि	म	म	व	व	व	व				
			से	दि	दि	म	म	व	व	व	व			
	5.	संपरीक्षिती का रजिस्ट्रीकृत पता												
6.	अन्य पते, यदि लागू हों	< निर्देश टिप्पण*>												
विधिक	7.	संपरीक्षिती का प्रकार	न्यास	<input type="checkbox"/>	सोसाइटी	<input type="checkbox"/>	कंपनी	<input type="checkbox"/>	अन्य	<input type="checkbox"/>				
	8.	क्या संपरीक्षिती किसी लिखत के अधीन स्थापित किया गया है?	हां/नहीं											
रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे	9.	आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षिती के रजिस्ट्रीकरण/अंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन/अंतिम अनुमोदन अथवा अधिसूचना के ब्यौरे (सभी रजिस्ट्रीकरण/अंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अंतिम अनुमोदन/अधिसूचना के ब्यौरे, जो पूर्ववर्ष के दौरान विधिमान्य हैं, प्रदान किए जाने चाहिए, तथापि जहां संपरीक्षिती ने अंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन कराया है, वहां अंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के ब्यौरे प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है)												
		धारा	जिसके	अधीन	रजिस्ट्रीकरण/अंतिम	या	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना/विशिष्ट	रजिस्ट्रीकरण/अंतिम	या	रजिस्ट्रीकरण/अंतिम	वह	तारीख	जिससे	
		रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित/अंतिम रूप से अनुमोदित/अधिसूचित किया गया है (निर्देश टिप्पण **)	रूप से	रजिस्ट्रीकरण	अनुमोदन/अंतिम	अनुमोदन/अधिसूचना की तारीख (दिदि/मामा/वववव)	संख्या (यूआरएन), यदि उपलब्ध हो	अनुमोदन/अंतिम अनुमोदन प्रदान करने वाला या अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकारी	अनुमोदन/अंतिम अनुमोदन/अधिसूचना प्रभावी हुआ/हुई (दिदि/मामा/वववव)	या	रजिस्ट्रीकरण	या	अनुमोदन/अंतिम अनुमोदन/अधिसूचना	प्रभावी हुआ/हुई (दिदि/मामा/वववव)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
प्रबंधन	10.	(क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय संपरीक्षिती के सभी कर्ता(ओं)/संस्थापक(कों)/व्यवस्थापक(कों)/न्यासी(न्यासियों)/सोसाइटी के सदस्यों/शासी परिषद् के सदस्यों/निदेशक(कों)/पांच प्रतिशत या अधिक धृति धारण करने वाले शेयरधारकों/ऑफिस बियरर(यों) के ब्यौरे												
		व्यक्ति का नाम	नातेदारी < निर्देश टिप्पण #>	शेयरधारक की दशा में धृति का प्रतिशत	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड < निर्देश टिप्पण###>	पता	क्या संपरीक्षा का पूर्व वर्ष के दौरान नातेदारी में कोई परिवर्तन हुआ है हां/नहीं	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
		(ख) उस दशा में यदि व्यक्तियों में कोई (पंक्ति 10(क) में यथा उल्लिखित) व्यक्ति नहीं है तब प्राकृतिक व्यक्तियों जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय ऐसे व्यक्तियों के हिताधिकारी स्वामी (5% से अधिक) हैं के निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें												
	क्र.सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड < निर्देश टिप्पण###>	पता	गैर व्यष्टिक व्यक्ति [पंक्ति संख्या 10(क) में यथा उल्लिखित] जिसमें हिताधिकारी स्वामित्व निहित है	हिताधिकारी स्वामित्व का प्रतिशत	क्या संपरीक्षा के पूर्व वर्ष के दौरान किसी प्रकार का कुल परिवर्तन किया गया है हां/नहीं	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
उद्देश्य	11.	संपरीक्षिती के उद्देश्य	निर्देश टिप्पण\$											
	12.	(i)	क्या निर्धारिती जो धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट न्यास या संस्था है, ने उद्देश्यों को अंगीकृत या उनमें उपांतरण किया है, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं करते हैं?							हां/नहीं				

		(ii)	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-													
		(अ)	ऐसे उपांतरण/ अंगीकरण की तारीख (दिदि/मामा/वववव)					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
		(आ)	क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (v) के अनुसार उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिवस की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में किया गया है					हां/नहीं								
		(इ)	यदि हां, 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (v) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें													
			क्र.सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति	ऐसे आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण/रद्दकरण की तारीख	ऐसे रजिस्ट्रीकरण का यूआरएन									
					(लंबित है/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया/रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया)	(दिदि/मामा/वववव)										
क्रियाकलापों का प्रारंभ	13.	(i)	क्या संपरीक्षिती को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है, क्या क्रियाकलाप पूर्व वर्ष के दौरान प्रारंभ हो चुके हैं					हां/नहीं								
		(ii)	यदि 13(i) का उत्तर हां में है, तो क्रियाकलापों के आरंभ की तारीख					<table border="1"><tr><td>दि</td><td>दि</td><td>मा</td><td>मा</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td></tr></table>	दि	दि	मा	मा	व	व	व	व
	दि	दि	मा	मा	व	व	व	व								
		(iii)	यदि 13(i) का उत्तर हां में है, तो क्या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन फाइल किया गया है?					हां/नहीं								
	(iv)	यदि उपरोक्त 13(iii) का उत्तर हां में है तो धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें														
			क्र.सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति	ऐसे आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण/रद्दकरण की तारीख	ऐसे रजिस्ट्रीकरण का यूआरएन									
					(लंबित है/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया/रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया)	(दिदि/मामा/वववव)										
स्थान के ब्यौरे जहां लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं	14.	(i)	क्या लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज संपरीक्षिती द्वारा धारा 17कक के अधीन यथा विहित प्ररूप और रीति में तथा ऐसे स्थान पर रखे और अनुरक्षित किए जाते हैं					हां/नहीं								
		(ii)	लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें													
		क्र.सं.	लेखा बहियों की प्रकृति	क्या संपरीक्षिती द्वारा अनुरक्षित किया गया है (हां/नहीं)	क्या कंप्यूटर सिस्टम में अनुरक्षित है, (हां/नहीं)	क्या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अनुरक्षित है (हां नहीं)	क्या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अनुरक्षित है (हां नहीं)	क्या लेखा बहियों का संपरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)								
			<टिप्पण \$\$ देखें>			ऐसे स्थान का पता	प्रबंधन द्वारा ऐसे स्थान पर लेखा रखने के निर्णय की तारीख	निर्धारण अधिकारी को सूचित करने की तारीख कि नियम 17कक के उप-नियम (3) के परंतुक के अधीन लेखा बहियों ऐसे स्थान पर अनुरक्षित की जाती हैं								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति	15.	जहां, संपरीक्षिती द्वारा संचालित किसी भी परियोजना/संस्था में, पूर्व उद्देश्यों में से एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति है, -														
		(क)	क्या संपरीक्षिती द्वारा कोई ऐसे क्रियाकलाप किए जा है जो धारा 2 के खंड (15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति की है?					हां/नहीं								
		(ख)	यदि हाँ, तो कुल प्राप्ति की तुलना में ऐसी क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत					%								
		(ग)	क्या व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति में ऐसे क्रियाकलाप, आम सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की ऐसी उन्नति के वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान किए जाते हैं					हां/नहीं								
		(घ)	क्या धारा 2 के खंड (15) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है?					हां/नहीं								

	(ड)	यदि हाँ, तो कुल प्राप्तियों की तुलना में ऐसे क्रियाकलाप से प्राप्तियों का प्रतिशत	%									
	(च)	क्या सेवा प्रदान करने की ऐसे क्रियाकलाप सामान्य लोकोपयोगी किसी अन्य वस्तु की ऐसी उन्नति के वास्तविक कार्यान्वयन के क्रम में की जाती है	हां/नहीं									
16.	यदि 15 में 'क' या 'घ' हाँ है, तो उस परियोजना/संस्था के संबंध में ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां											
	क्र.सं.	परियोजना/संस्था का नाम	15क और 15घ में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियों की रकम (रु. में)									
	कुल											
कारबार उपक्रम	(i)	क्या संपरीक्षिती के पास धारा 11 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट कोई कारबार उपक्रम है	हां/नहीं									
	(ii)	यदि हाँ, तो कारबार उपक्रम के निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:										
		(क)	कारबार उपक्रम की प्रकृति									
		(ख)	कारबार कोड									
		(ग)	क्या व्यापार उपक्रम के लिए खाते की अलग-अलग लेखों का अनुरक्षण किया गया है <टिप्पण देखें ^>	हां/नहीं								
		(घ)	पूर्व वर्ष के लिए कारबार उपक्रम से आय जिसे धारा 11 की उप-धारा (4) के अनुसार संपरीक्षिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाना है	रकम रुपये में								
(ड)	पूर्व वर्ष के लिए कारबार उपक्रम से आय जिसे धारा 11 की उप-धारा (4) के अनुसार संपरीक्षिती की कुल आय में सम्मिलित किया जाना है	रकम रुपये में										
वस्तुओं के लिए व्यापार आकस्मिक	(i)	क्या संपरीक्षिती के पास यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के सातवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (4क) में निर्दिष्ट, किसी भी कारबार से लाभ और अभिलाभ के रूप में कोई आय है	हां/नहीं									
	(ii)	यदि हाँ, तो ऐसे कारबार का निम्नलिखित विवरण दें:										
		(क)	कारबार की प्रकृति	हां/नहीं								
		(ख)	कारबार कोड									
		(ग)	क्या कारबार के लिए पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं<टिप्पण देखें^>	हां/नहीं								
		(घ)	क्या कारबार संपरीक्षिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के आनुषंगिक है	हां/नहीं								
(ड)	पूर्व वर्ष के दौरान कारबार से लाभ और अभिलाभ	रकम रुपये में										
रसीदों पर टीडीएस	19.	धारा 194ग या 194ज या 194क या 194ख में निर्दिष्ट संपरीक्षिती की प्राप्तियों का विवरण जिस पर स्रोत पर कर काटा गया है:										
	क्र.सं.	कटौती कर्ता का नाम	कटौती कर्ता का टैन	रकम जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है (रुपये में)	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की गई है	आय/प्राप्ति की श्रेणी			स्तंभ 7 या 8 में आय/प्राप्ति जो संपरीक्षिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक कारबार से है। (रुपये में)	क्या क्रियाकलाप आय/प्राप्तियों के लिए पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं, जिनका उल्लेख स्तंभा 10 में किया गया है (हां नहीं)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	व्यापार, वाणिज्य या कारबार (रुपये)	किसी भी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का क्रियाकलाप (रु)	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (रु)	(10)	(11)	
	20.	क्या धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 13 की उप-धारा (10) के बाइसवें परंतुक के उपबंध लागू हैं।										हां/नहीं
स्वैच्छिक अभिदाय	21.	क्या संपरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के लिए प्ररूप सं. 10खघ फाईल किया है <यदि नहीं तो पंक्ति 23 पर जाएं >										हां/नहीं
	22.	पूर्व वर्ष के लिए संपरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत प्ररूप सं. 10खघ में रिपोर्ट किए गए संदान का कुल योग										(रकम रुपये में)
	23.	संदान प्ररूप सं. 10खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है / प्ररूप सं. 10खघ भरने की आवश्यकता नहीं है										
(i)		संपरीक्षिती की निधि या न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान जो कि धारा 80 छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित है										रकम रुपये में
(ii)	संपरीक्षिती की निधि या न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान जो धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए अर्हित है (धारा 80 छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) या धारा 80छ की उप-धारा (2) के खंड (क) के उप-खंड (iv) के अधीन अर्हित संदान से भिन्न)										रकम रुपये में	

	(iii)	धारा 80छ की उप-धारा (2) के खंड के उप-खंड (iv) के अधीन अनुमोदित लेखापरीलेखापरीक्षिति की निधि या न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान और जो धारा 80छ की उप-धारा (5) के अधीन पात्र नहीं हैं	(क)	2000 रुपए से अधिक नकद संदान	रकम रुपये में
			(ख)	अन्य पूर्त न्यासों और संस्था से या किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाओं या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था से प्राप्त संदान, जो कटौती के लिए अर्हित नहीं है	रकम रुपये में
			(ग)	अन्य <प्रकृति निर्दिष्ट करें>	रकम रुपये में
			(घ)	कुल (क)+(ख)+(ग)	रकम रुपये में
	(iv)	संदान, जो प्ररूप संख्या 10खघ के अधीन दाता की पहचान की अनुपलब्धता के कारण प्ररूप संख्या 10खघ में रिपोर्ट नहीं किया जा सका			रकम रुपये में
	(v)	संदान वस्तु के रूप में प्राप्त हुआ			रकम रुपये में
		अनुभाग 115खखग में निर्दिष्ट अनाम संदान			रकम रुपये में
	(vi)	(क)	धारा 115खखग की उप-धारा (1) के खंड (i) के लागू होने के कारण धारा 115खखग के अधीन अकराधेय अनाम संदान की रकम		रकम रुपये में
		(ख)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (क) के लागू होने के कारण धारा 115खखग के अधीन अकराधेय अनाम संदान की रकम		रकम रुपये में
		(ग)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (ख) के लागू होने के कारण धारा 115खखग के अधीन अकराधेय अनाम संदान की रकम		रकम रुपये में
		(घ)	धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय अन्य अनाम संदान		रकम रुपये में
		(ङ)	रकम रुपये में		रकम रुपये में
	(vii)	कोई अन्य स्वैच्छिक अभिदाय जो प्ररूप संख्या 10खघ का भाग नहीं है		रकम रुपये में	रकम रुपये में
	(viii)	प्ररूप संख्या में 10खघ [23(i)+23(ii)+23(iii)(घ) +23(iv)+23(v)+23(vi)(ङ)+23(vii)] कुल संदान की सूचना नहीं दी गई है			रकम रुपये में
	24.	पूर्व वर्ष के दौरान संपरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [22+23(viii)]			रकम रुपये में
	25.	24 में बताए गए कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय			रकम रुपये में < अनुसूची चग भरें >
		समग्र का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 24 में सम्मिलित हैं)			रकम रुपये में
	26.	(अ)	धारा 80छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त संदान का प्रतिनिधित्व करने वाला समग्र, धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1क या धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3क के अधीन छूट के लिए अर्हित है		रकम रुपये में < अनुसूची समग्र भरें>
		(आ)	धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) या धारा 10 (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1 में यथा निर्दिष्ट समग्र छूट के लिए अर्हित है और धारा की उप-धारा (5) के अधीन निर्दिष्ट रीति में विनिवेशित किया गया है।		रकम रुपये में < अनुसूची समग्र भरें>
	27.	पूर्व वर्ष के दौरान संपरीक्षिती द्वारा लागू किए जाने के लिए अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [24-{23(vi)(डी)+26ए+ 26बी}]			रकम रुपये में
	28.	धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न स्वैच्छिक अभिदाय के अतिरिक्त अन्य आय या निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय (क्रम संख्या 24 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न)			रकम रुपये में
	29.	भारत के बाहर उपयोजित आय, जो धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन अर्हित है			रकम रुपये में < इंट ऐप अनुसूची भरें>
	30.	पूर्व वर्ष के दौरान संपरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजित किए जाने के लिए अपेक्षित आय [27+28-29]			रकम रुपये में
	31.	आय का उपयोजन (निरर्हित और क्रम संख्या 37 के अधीन रिपोर्ट किए गए आवेदन को छोड़कर)			
		(i)	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोजित कुल रकम	+इलेक्ट्रॉनिक (रुपये में)	इलेक्ट्रॉनिक के अलावा (रुपये में)
					रकम रुपये में

लागू होने वाली आय

आय का आवेदन

(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को अभिदाय या संदान						रकम रुपये में		
(ख)	(क) में उपबंधित उपयोजन से भिन्न उद्देश्य वार उपयोजन								
	(I)	धर्म					रकम रुपये में		
	(II)	निर्धन को सहायता					रकम रुपये में		
	(III)	शिक्षा					रकम रुपये में		
	(IV)	चिकित्सा सहायता					रकम रुपये में		
	(V)	योग					रकम रुपये में		
	(VI)	पर्यावरण का संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्य जीवन सहित)					रकम रुपये में		
	(VII)	कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण					रकम रुपये में		
	(VIII)	मान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य वस्तु की उन्नति					रकम रुपये में		
	(IX)	आवेदन जो विशेष रूप से (I) से (VIII) के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है					रकम रुपये में		
	(X)	कुल					रकम रुपये में		
(ग)	कुल उपयोजन [(क) + (ख)(X)]							रकम रुपये में	
(ii)	(i) (क) और (i) (ख) में से उपयोजन का विवरण जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपये से अधिक का संदाय हुआ।								
	क्र.सं.	उस व्यक्ति का नाम जिसे रकम संदत्त या प्रत्यय	ऐसे व्यक्ति का पैन	उपयोजन की रकम (रुपये)	उपयोजन का ढंग			टीडीएस	
					+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु.)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु.)	कुल	क्या कोई टीडीएस काटा गया है हां/नहीं	धारा जिसके अधीन टीडीएस काटा गया है
(iii)	रकम, जो वास्तव में पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त नहीं की गई थी [यदि (i)(सी) में सम्मिलित है]							रकम रुपये में	
(iv)	पूर्व वर्ष के दौरान वास्तव में संदत्त की गई रकम रकम जो किसी भी पूर्व वर्ष के दौरान उद्भूत हुई थी लेकिन उससे पहले पूर्व वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में दावाकृत नहीं की गई थी							रकम रुपये में	
(v)	उपयोजन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम [31(i)(ग)- 31(iii) +31(iv)]							रकम रुपये में	
(vi)	राजस्व या पूंजी में 31 (v) में आवेदन का विभाजन							रकम रुपये में	
	(क)	राजस्व						रकम रुपये में	
	(ख)	पूंजी						रकम रुपये में	
(vii)	समग्र में विनिधान की गई या वापस जमा की गई रकम जिसे पूर्व किसी भी पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था।							रकम रुपये में <अनुसूची समग्र भरें>	
(viii)	पूर्व वर्ष के दौरान ऋण या उधार का पुनर्संदाय जो पहले उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावाकृत नहीं किया गया था।							रकम रुपये में<अनुसूची ठख भरें>	
उपयोजन से अनानुजात की जाने वाली रकम									
(ix)	धारा 10 के खंड (23ग) के तहत परंतुक या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (क) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अनानुजात योग्य रकम							रकम रुपये में <अनुसूची टीडीएस भरें>	
(x)	धारा 10(23ग) के तहत परंतुक या धारा 40क की उप-धारा (3) या (3क) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अनानुजात रकम ,							रकम रुपये में . <अनुसूची 40क(3)/अनुसूची 40क(3क) भरें>	
(xi)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को समग्र के लिए किया गया संदान							रकम रुपये में	
(xii)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की							रकम रुपये में	

		धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को जिनका उद्देश्य समान नहीं है, किया गया संदान	
	(xiii)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था से भिन्न व्यक्ति को किया गया संदान	रकम रुपये में
	(xiv)	भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अधीन अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है	रकम रुपये में
	(xv)	भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अधीन अनुमोदन प्राप्त किया गया है	रकम रुपये में
	(xvi)	संपरीक्षिती के उद्देश्य से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया	रकम रुपये में
	(xvii)	कोई अन्य अनानुज्ञात (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	रकम रुपये में
	(xviii)	कुल अनानुज्ञात उपयोजन [{31(v)+31(vii)+31(viii) - {31(ix) से 31(xvii) }]	रकम रुपये में
	(xix)	धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित मानी गई रकम	रकम रुपये में . < अनुसूची घड़ भरें >
	(xx)	धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 11 की उप-धारा (2) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के परंतुकों के अनुसार संचित आय	रकम रुपये में <अनुसूची कग भरें >
	(xxi)	पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों या न्यास या संस्था की कथित उद्देश्यों के लिए संचित की गई या अलग रखी गई आय, जहां तक कि वह आय के 15% से अधिक नहीं है	रकम रुपये में
	32.	कराधेय आय [30- {31(xviii) to 31(xxi)}]	रकम रुपये में
धारा 115बीबीआई	33.	धारा 115खखख के अधीन कराधेय आय	
	(क)	क्या संपरीक्षिती के पास धारा 11 की उप-धारा (1ख) में निर्दिष्ट कोई मानित आय और ऐसी मानी गई आय की रकम है जो धारा 115 खखख के अधीन 30% की दर से कर के लिए प्रभाय है?	हां/नहीं यदि हाँ तो अनुसूची घड़ भरें
	(ख)	क्या संपरीक्षिती के पास धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट कोई भी मानित आय है जो धारा 115बीबीआई के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी मानी गई रकम आय?	हां/नहीं यदि हाँ, तो अनुसूची कग. भरें
	(i)	क्या संचित आय का उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है या उसके उपयोजन के लिए संचित नहीं रह गई है या आवेदन के लिए अलग नहीं रह गई है	रकम रुपये में

	(ii)	क्या ऐसी संचित आय धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी भी रूप या मोड में निवेशित या जमा रहना बंद हो जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
	(iii)	क्या इस तरह की संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे जमा किया जाता है या धारा 10 के खंड (23 ग) के तीसरे उपबंध के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा जाता है	हां /नहीं	रकम रुपये में
	(iv)	क्या ऐसी संचित आय धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान या किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट अन्य चिकित्सा संस्थान को जमा या भुगतान की जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
(ग)	(i)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जो धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाने वाली आय है जो धारा 115खखख के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
	(ii)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के अधीन या धारा 13 के उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाना है जो धारा 115खखख के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
(घ)		क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय पन्द्रह प्रतिशत से अधिक संचित या अलग रखी गई है। उस आय का जहां अधिनियम के किसी विशिष्ट उपबंध के अधीन इस तरह के संचय की अनुमति नहीं है और जो धारा 115खखख के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में

		(ङ)	क्या लेखापरीक्षिती ने भारत के बाहर कोई आवेदन किया है जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया गया है	हां /नहीं <यदि हाँ तो अनुसूची ईंट ऐप भरें>	रकम रुपये में						
	34.		बेनामी दान जो धारा 115खखग के अधीन @ 30% कर के लिए प्रभाय है		रकम रुपये में						
अन्य आय	35.		अन्य आय		रकम रुपये में						
		(क)	क्या लेखापरीक्षिती की धारा 12(2) के अधीन प्रभाय कोई आय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(ख)	धारा 80ख की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) का उल्लंघन करने की दशा में धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय		रकम रुपये में <अनुसूची कॉर्पस भरें>						
		(ग)	धारा 80ख की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) का उल्लंघन करने की दशा में धारा 10 के खंड 23ग के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय		रकम रुपये में <अनुसूची कॉर्पस भरें>						
		(घ)	धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन प्रभाय आय		रकम रुपये में						
पूँजीगत आस्ति	36.		धारा 11 की उपधारा (1क) के अधीन हस्तांतरित पूँजीगत आस्ति के ब्यौरे								
		(1)	क्या धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए न्यास के अधीन पूरी तरह से धारित संपत्ति होने के नाते एक पूँजीगत संपत्ति को स्थानांतरित किया जाता है और सकल प्रतिफल जिसके लिए इसे स्थानांतरित किया जाता है?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(2)	क्या डीमड आवेदन का दावा धारा 11 की उपधारा (1क) के खंड (क) के अनुसार किया गया है और ऐसे डीमड आवेदन की रकम?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(3)	क्या पूँजीगत आस्ति केवल धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन रखी गई संपत्ति को हस्तांतरित की जाती है और सकल प्रतिफल जिसके लिए इसे स्थानांतरित किया जाता है?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(4)	क्या डीमड आवेदन का दावा धारा 11 की उपधारा (1क) के खंड (ख) के अनुसार किया गया है और ऐसे डीमड आवेदन की रकम?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयोग	37.		पूर्व वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्रोतों से आय का उपयोग								
		(क)	धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे उपबंध के अधीन या किसी भी पिछले वर्ष के दौरान धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन संचित आय	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची एसी भरें>					
		(ख)	धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन किसी भी पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में लागू मानी जाने वाली आय	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची डीआई भरें>					
		(ग)	पहले के पिछले वर्षों की आय 15% तक जमा या अलग रखी गई	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .)					
		(घ)	कोर्पस	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची कॉर्पस भरें>					
		(ङ)	उधार निधि	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची एलबी भरें>					
		(च)	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची एलबी भरें>					
	38.		37 में से किसी एक व्यक्ति को पूर्व वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक संदाय या क्रेडिट के परिणामस्वरूप आवेदन के ब्यौरे ।								
		क्र.सं	व्यक्ति का नाम	पैन	आवेदन की रकम (रु .)	आवेदन का तरीका	टीडीएस				
						+ इलेक्ट्रॉनिक	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न	कुल	क्या कोई टीडीएस	धारा जिसके	टी डी

					मोड			काटा गया है (हां/नहीं)	अधीन टीडीएस काटा गया है	एस की रकम			
13 (10) और धारा 10 (23ग) का 22वां परंतुक	39	(i)	क्या धारा 10 के खंड (23ग) के 22वें परंतुक के उपबंध या धारा 13 की उपधारा (10) के उपबंध लागू हैं ?					हां/नहीं					
		(ii)	यदि (i) में हां है, तो धारा 10 के खंड (23ग) के 22वें परंतुक के उपबंध या धारा 13 की उपधारा (10) के उपबंध लागू होने के कारण विनिर्दिष्ट करें										
			(क)	धारा 2 के खंड (15) के परंतुक के उपबंध लागू है					हां/नहीं				
			(ख)	धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (क) में विनिर्दिष्ट शर्त या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) का उल्लंघन किया गया है					हां/नहीं				
			(ग)	धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्त या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) का उल्लंघन किया गया है					हां/नहीं				
			(घ)	धारा 10 के खंड (23ग) के बीसवें परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्त या धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (खक) के उपखंड (ii) का उल्लंघन किया गया है					हां/नहीं				
		(iii)	यदि (i) में हां है, तो कृपया धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन प्रभार्य आय की संगणना प्रदान करें										
			(क)	पूर्व वर्ष के लिए आय					रकम रुपये में				
			(ख)	लेखापरीक्षिती के प्रयोजनों के लिए भारत में किया गया कुल व्यय,					रकम रुपये में				
			(ग)	अननुज्ञात किया जाने वाला व्यय									
				(i)	उस आकलन वर्ष से संबंधित पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर न्यास या संस्था के खाते में जमा कोष से व्यय, जिसके लिए आय की गणना की जा रही है					रकम रुपये में			
				(ii)	किसी ऋण या उधार से व्यय					रकम रुपये में			
				(iii)	किसी आस्ति के संबंध में मूल्यहास, जिसका अधिग्रहण उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष में आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया है; और					रकम रुपये में			
				(iv)	किसी व्यक्ति को अभिदाय या दान के रूप में व्यय।					रकम रुपये में			
				(v)	पूँजीगत व्यय					रकम रुपये में			
				(vi)	धारा 13 की उप-धारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (i) के साथ पठित धारा 10 के खंड 23ग के 22वें परंतुक के स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम					रकम रुपये में <अननुज्ञात टीडीएस अनुसूची भरें >			
		(vii)		धारा 13 की उप-धारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40क की उप-धारा 3 या उप-धारा 3क के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम					रकम रुपये में < अनुसूची 40क(3)अनुसूची/ 40क(3क) अनुसूची भरें >				
		(viii)	कोई अन्य अननुज्ञात					रकम रुपये में					
		(ix)	अननुज्ञात किया जाने वाला कुल व्यय (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii))					रकम रुपये में					
		(घ)	धारा 10 के खंड 23ग के 22वें परंतुक या धारा 13 की उपधारा 10 के अधीन कर की प्रभार्य आय [क-ख+ग (ix)]					रकम रुपये में					
धार्मिक कार्यों के लिए उपगत व्यय	40.	यदि धारा 80छ की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अधीन लेखापरीक्षिती अनुमोदित है, तो कृपया निम्नलिखित व्योरे प्रदान करें											
		(क)	क्या पूर्व वर्ष के दौरान किए गए व्यय की कोई रकम जो धार्मिक प्रकृति की है और इस तरह के व्यय की रकम					हां/नहीं		यदि हां, तो रकम विनिर्दिष्ट करें रुपये में।			
		(ख)	पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती की कुल आय					रकम रुपये में					
		(ग)	कुल आय में धार्मिक प्रकृति के व्यय का प्रतिशत [(क)/(ख) में रकम]					%					

13 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति	41.	धारा 13 की उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति* का विवरण	धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोड <नोट देखें ^^>	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	ऐसे व्यक्ति का आधार नंबर, यदि आवंटित किया गया हो	ऐसे व्यक्ति का पता	यदि स्तंभ (1) में कोड 2 चुना गया है तो लेखापरीक्षिता को किए गए अभिदाय की रकम निर्दिष्ट करें
	42.	धारा 13(2) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के ब्यारे						
	(क)	क्या लेखापरीक्षिता की आय या संपत्ति का कोई हिस्सा पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए पर्याप्त सुरक्षा या पर्याप्त ब्याज या दोनों के बिना किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दिया गया है या जारी है						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-क भरें>
	(ख)	क्या लेखापरीक्षिता की कोई भूमि, भवन या अन्य संपत्ति किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के उपयोग के लिए पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए पर्याप्त किराया या अन्य मुआवजा लिए बिना उपलब्ध कराई गई है या बनी हुई है;						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ख भरें >
	(ग)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को न्यास या संस्था के संसाधनों से उस व्यक्ति द्वारा ऐसे लेखापरीक्षिता को प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी भी रकम का भुगतान वेतन, भत्ते या अन्यथा के रूप में किया गया है और इस प्रकार भुगतान की गई रकम रकम से अधिक है ऐसी सेवाओं के लिए यथोचित भुगतान किया जाए;						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ग भरें >
	(घ)	क्या लेखापरीक्षिता की सेवाएं पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को पर्याप्त पारिश्रमिक या अन्य मुआवजे के बिना उपलब्ध कराई गई हैं;						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-घ भरें >
	(ङ)	क्या कोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से लेखापरीक्षिता द्वारा या उसकी ओर से विचार के लिए क्रय की गई है जो पर्याप्त से अधिक है;						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ड.1/ड.2 भरें >
	(च)	क्या कोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति लेखापरीक्षिता द्वारा या उसकी ओर से पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रतिफल के लिए बेची गई है जो पर्याप्त से कम है;						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-च1/च2 भरें >
	(छ)	क्या लेखापरीक्षिता की कोई आय या संपत्ति पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में डायवर्ट की गई है						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-छ भरें >
	(ज)	लेखापरीक्षिता की कोई निधि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए निवेश की गई है, या बनी हुई है, किसी भी संबंध में जिसमें किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पर्याप्त हित है।						हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ज भरें >
निर्दिष्ट उल्लंघन	43.	निर्दिष्ट उल्लंघन						
		क्या लेखापरीक्षिता ने धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 या धारा 12कख की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण और इस तरह के उल्लंघन की रकम के अनुसार कोई निर्दिष्ट उल्लंघन किया है					हां /नहीं	रकम रुपये में
	(क)	लेखापरीक्षिता की आय , न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अलावा, लागू की गई है।					हां /नहीं	रकम रुपये में
	(ख)	क्या लेखापरीक्षिता के पास व्यवसाय के लाभ और लाभ से आय है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है या लेखापरीक्षिता द्वारा व्यवसाय के संबंध में खाते की अलग-अलग किताबें नहीं रखी जाती हैं जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है।					हां /नहीं	रकम रुपये में
	(ग)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षिता ने निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक न्यास के अधीन आयोजित संपत्ति से अपनी आय का कोई हिस्सा लागू किया है, जो कि लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं करता है।					हां /नहीं	रकम रुपये में
	(घ)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षिता ने किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए अपनी आय का कोई हिस्सा लगाया है।					हां /नहीं	रकम रुपये में
(ङ)	लेखापरीक्षिता द्वारा की जा रही कोई गतिविधि वास्तविक नहीं है या उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही है जिनके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था।					हां /नहीं	रकम रुपये में	

	(च)	क्या लेखापरीक्षिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, और आदेश, निर्देश या डिक्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यह मानते हुए कि ऐसा गैर-अनुपालन हुआ है, या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त की।	हां/नहीं	< विधि अनुसूची भरें >
44.		क्या किसी आस्तिक के संबंध में धारा 11 की उपधारा (6) या धारा 10 के खंड 23ग के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार किसी मूल्यहास या अन्यथा का दावा किया गया है, जिसके अर्जन का दावा आय के आवेदन के रूप में किया गया है और ऐसे मूल्यहास की रकम	हां/नहीं	यदि हाँ तो रकम का विनिर्दिष्ट करें
45.		धारा 10 के खंड (23ग) के उन्नीसवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (7) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें कि क्या न्यास या संस्थान ने पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के अधीन कटौती का दावा किया है [खंड (1), खंड (23ग) और उसके खंड 46 से भिन्न] और ऐसे दावे की रकम	हां/नहीं	रकम रुपये में
46.		क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या कोई विनिर्दिष्ट राशि ली या स्वीकार की है?	हां/नहीं	रकम रुपये में (यदि हाँ, तो अनुसूची 269धध भरें)
47.		क्या लेखापरीक्षिती ने एक दिन में एक व्यक्ति से धारा 269धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम प्राप्त की है; या एकल संव्यवहार के संबंध में; या पूर्व वर्ष के दौरान एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में?	हां/नहीं	रकम रुपये में (यदि हाँ, तो अनुसूची 269धन भरें)
48.		क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम रकम पुनर्संदत्त की है	हां/नहीं	रकम रुपये में (यदि हाँ, तो अनुसूची 269 न भरें)
49.		क्या लेखापरीक्षिती ने अध्याय XVII-ख या अध्याय XVII-खख के उपबंधों के अनुसार कोई कर संग्रहण या कटौती अपेक्षित है?	हां/नहीं	(यदि हाँ, तो टीडीएस/टीसीएस अनुसूची /टीडीएस/टीसीएस का विवरण /टीडीएस/टीसीएस पर यथालागू ब्याज

प्ररूप 10 ख (अनुदेश देखें) यथालागू अनुसूचियां भरी जाएं														
अनुसूची कॉर्पस: कॉर्पस के ब्यौरे														
कोष दान का प्रकार	पूर्व वर्ष के आरंभ में अतिशेष (पूर्व वर्ष के आरंभ तक कार्पस लागू नहीं) (1)	पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त/मानित कार्पस (2)	पूर्व वर्ष के दौरान लागू (3)	कार्पस में पुनः जमा या निक्षेपित रकम (जो पूर्व में आवेदित थी परंतु जिसका दावा नहीं किया गया था यदि ऐसा आवेदन शर्तें पूरी करता हो (4)	कार्पस में पुनः जमा या निक्षेप की कुल रकम (5)	वित्तीय वर्ष जिसमें (4) पहले लागू किया गया था (6)	अंतिम अतिशेष (7) [(1+2+5)-3]	धारा 11(5) में निर्दिष्ट मोड में निक्षेप (8)	पूर्व निर्धारण वर्ष में कर लगाई गई रकम (9)	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोड में निक्षेप (10)	यदि कार्पस दान (1) प्रकार का है तो क्या वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है			
											कार्पस उस उद्देश्य से भिन्न कार्पस में से उपयोगित रकम जिसके लिए स्वीकृत अभिदाय किया गया था।	किसी व्यक्ति को अभिदाय या दान, किसी व्यक्ति को दान या अभिदाय	पृथक रूप से पहचान नहीं किए जाने वाले रूप में रखा गया।	धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न प्ररूपों और मोडों में निक्षेप या जमा
(1) 01.04.2020 को या उसके पश्चात् 80ख(2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान का प्रतिनिधित्व करता है											हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं

(ii) 01.04.2021 को या उसके पश्चात उपरोक्त (ii) से भिन्न प्राप्ति																			
(iii) उपरोक्त(ii) से और (ii) से भिन्न																			

अनुसूची एफसी : विदेशी अभिदाय का ब्यौरा		
पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्रकृति	पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम (रुपए में)	पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे अभिदाय से कुल आवेदन के ब्यौरे राशि रुपए में
(i) समग्र निधि		
(ii) गैर- समग्र निधि		
योग		

अनुसूची एलबी : ऋण और उधार के ब्यौरे						
पूर्ववर्ष की 1 अप्रैल का आरंभिक अतिशेष	पूर्ववर्ष के दौरान उद्देश्यों हेतु आवेदनों के लिए लिया गया ऋण और उधार	पूर्ववर्ष के दौरान न्यास या संस्था की वस्तुओं के लिए किया गया आवेदन	पूर्ववर्ष के दौरान ऋण या उधार के पुनःसंदाय की रकम (जिसे पहले आवेदन किया गया था और आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था, यदि ऐसा आवेदन यथा आवश्यक शर्तों को पूरा करता है)	वित्तीय वर्ष, जिसमें (4) पहले से लागू था	पूर्ववर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल पुनःसंदाय (रुपए में)	31 मार्च को अंत अतिशेष (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची आईएनटी एपीपी : भारत के बाहर लागू आय के ब्यौरे										
क्र.सं.	उस व्यक्ति का नाम, जिसे प्रेषण किया गया है	करदाता पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो	भारत से बाहर प्रेषण की रकम, जो प्ररूप सं. 15गक में प्रस्तुत है (रुपए में)	(4) से अन्यथा भारत के बाहर प्रेषण की रकम (रुपए में)	खैराती या धार्मिक प्रयोजन जिसके लिए आवेदन किया गया है	आवेदन करने वाला देश	क्या अंतरराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें भारत इच्छुक है और इसे संपरीक्षित की कुल आय में शामिल नहीं किया जाना है?	अगर भारत के बाहर आवेदन के लिए अनुमोदन लिया गया है		
								अनुमोदन संख्या	सामान्य/ विशेष	अनुमोदन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अनुसूची डीआई : धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन माने गए आवेदन और धारा 11 की उपधारा (1ख) के अधीन मानी गई आय के ब्यौरे									
वर्ष, जिसमें आय को लागू माना जाता है (वि.व.)	प्ररूप 9क में दी गई तारीख (दिदि/मामा/वव)	स्तंभ 1 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ष के दौरान लागू मानी गई राशि	आवेदन माने जाने का कारण (क) उस वर्ष के दौरान प्राप्त न की गई आय (ख) कोई अन्य कारण	पहले से दावा किए गए माने गए आवेदन में से, आवेदन करने के लिए आवश्यक रकम	स्तंभ (5) में निर्दिष्ट रकम में से किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में कर लगाई गई रकम (अनुसूची डीए भरें)	दावा किए गए आवेदन में से, वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू की जाने वाली रकम	पूर्ववर्ष में दावा किए गए माने गए आवेदन की रकम, वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू	रकम, जिसे लागू नहीं किया जा सकता था और पूर्ववर्तीवर्ष के दौरान धारा 11(1ख) के अधीन आय के रूप में माना गया था	माने गए आवेदन की शेष रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)-(6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)-(7)=(10)
डापडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे			डापडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे						

अनुसूची डीए: धारा 11 की उप-धारा (1ख) के अनुसार पूर्व निर्धारण वर्षों में संचित आय पर लगाए गए कर का ब्यौरा					
संचयन वर्ष (वि.व.) विद्यमान पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्षों के लिए डापडाउन उपलब्ध कराए वर्ष - वर्ष	निर्धारण वर्ष, जिसमें अनुसूची डीआई के स्तंभ (4) में यथा निर्दिष्ट आय पर कर लगाया गया था <i>विद्यमान पूर्ववर्ष से पहले के पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले विगत पांच पूर्ववर्ष</i>				
	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष
योग					

अनुसूची एसी : संचयन के ब्यौरे																
क्र. सं.	संचयन का वर्ष (वि.व.)	प्ररूप 10 प्रस्तुत करने की तारीख दिदि/मामा/वववव	संचयन वर्ष में संचयित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ष के प्रारंभ तक खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू रकम	उपयोजित अतिशेष (3)-(5)	किसी पूर्व निर्धारण में कर ली गई रकम (अनुसूची एसीए भरें)	आवेदन के लिए उपलब्ध अतिशेष (6)-(7)	पूर्ववर्ष संचयन में से पूर्ववर्ष के दौरान खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू रकम	जिस प्रयोजन के लिए इस तरह का संचयन किया गया था, उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए लागू रकम (यदि लागू हो)	धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या (vi) के अधीन अनुमोदित किसी	आवेदन के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम (8)	(12) में से धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति में विनिधायित या जमा की गई रकम	(12) में से धारा 11(5) में से अन्यथा विनिर्दिष्ट रीति में विनिधायित या जमा की गई रकम (यदि लागू हो)	रकम, जो संचयन की अवधि के दौरान उपयोजित नहीं की गई है (यदि लागू हो)	धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन मानी जाने वाली आय की रकम (यदि लागू हो) (10)+(11)+(14)+(15)

				किए जाते हैं	की संख्या								प्रतिफल	
			< शेयर / सुरक्षा / अन्य संपत्ति >											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	

अनुसूची एसपी - च 2: अन्य संपत्ति के अचल होने के मामले में विवरण:

क्र. सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	आस्ति का प्रकार	आस्ति का पता	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	स्टाम्प ड्यूटी मूल्य	विचार का विवरण	
							आस्ति के लिए प्रतिफल की राशि	आस्ति के लिए पर्याप्त प्रतिफल
			< भूमि/आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति आदि >					

अनुसूची एस पी - छ: किसी भी आय या संपत्ति का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में अपयोजन किया गया है

क्र. सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में आय या संपत्ति का अपयोजन किया गया है	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	अपयोजित की गई आय या संपत्ति का विवरण	
			आय या संपत्ति की प्रकृति जिसे अपयोजित किया जाता है	आय या संपत्ति का मूल्य जो अपयोजित किया जाता है (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची ज : किसी भी निधि का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समुत्थान में विनिधान किया गया है, या बना हुआ है, जिसमें निर्दिष्ट व्यक्ति का पर्याप्त व्याज है

क्र. सं.	उस समुत्थान का विवरण जिसमें निधि विनिधान किए जाते हैं, या बने रहते हैं							पर्याप्त व्याज का विवरण			
	समुत्थान का विवरण जिसमें निधि विनिधान करना जारी रखते हैं	समुत्थान का नाम	समुत्थान का पता	ऐसी राशि जो वर्ष के दौरान समुत्थान में विनिधान की जाती है या बनी रहती है (रुपये में)	पिछले वर्ष के दौरान विनिधान की अवधि		विनिधान की प्रकृति	वर्ष के दौरान विनिधान से आय	समुत्थान में पर्याप्त व्याज रखने वाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	पर्याप्त व्याज की प्रकृति
	< कंपनी / अन्य >										

अनुसूची अन्य विधि उल्लंघन

क्र. सं.	विधि का नाम जिसके अधीन गैर-अनुपालन उद्भूत हुआ है	अननुपालन की प्रकृति	आदेश, निर्देश या डिक्री की तारीख, यह मानते हुए कि ऐसा अननुपालन हुआ है	क्या आदेश, निर्देश या डिक्री, किसी भी न्यायालय या अपीलीय मंच के समक्ष विवादित रहा है	यदि हां, तो क्या विवाद को अंतिम रूप दिया गया है	क्या संपरीक्षित के पक्ष में विवाद को अंतिम रूप दिया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची टीडीएस को नामंजूर किया जा सकता है: धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तहत धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन अनुमेय राशि को नामंजूर किया जा सकता है:

(क) भुगतान का विवरण जिस पर कर की कटौती नहीं की जाती है

भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने वाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) भुगतान का विवरण जिस पर कर कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है							
भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने वाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता	कटौती की गई कर की राशि	जमा की गई (7) राशि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अनुसूची 40क(3): धारा 40 क की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23 ग) के तरेहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन राशि का विवरण नामंजूर किया जा सकता है।						
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति (रुपए में)	पाने वाले का विवरण		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची 40क(3क): धारा 40 क की उप-धारा (3 क) के साथ पठित धारा 10 (23 ग) के तरेहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन नामंजूर राशि का विवरण						
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	राशि	प्रकृति	पाने वाले का विवरण		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची 269धघ : पिछले वर्ष के दौरान धारा 269 धघ में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण या जमा या ली गई किसी भी विनिर्दिष्ट राशि का विवरण									
क्र. सं.	जमाकर्ता या ऋणदाता का नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण या जमा या कोई विनिर्दिष्ट रकम	लिए गए या स्वीकार किए गए ऋण या जमा की राशि	क्या पिछले वर्ष के दौरान ऋण या जमा राशि को चुकता किया गया था? हाँ/ नहीं	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में बकाया अधिकतम राशि	चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते या किसी अन्य माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके	क्या पाने वाले का खाता चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया है ?

अनुसूची 269 धन: एक दिन में किसी व्यक्ति से धारा 269 धन में निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्त राशि का विवरण; या एक ही लेनदेन के संबंध में; या पिछले वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में				
आदाता का विवरण और भुगतान की राशि				
क्र.सं.	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	भुगतान की राशि ;

अनुसूची 269 न : पिछले वर्ष के दौरान धारा 269 न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण या जमा या किसी भी विनिर्दिष्ट अग्रिम के प्रतिसंदाय का विवरण?											
पाने वाले का विवरण				लेन-देन का विवरण						प्रतिसंदाय का तरीका	
क्र. सं.	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण या जमा कोई विनिर्दिष्ट अग्रिम	राशि	कृपया रसीद की रीति विनिर्दिष्ट करें [चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते या किसी अन्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके]	क्या पाने वाले खाता, यदि चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा?	क्या चुकता किया गया है?	अधिकतम बकाया राशि	चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या अन्य रीति	क्या पाने वाले खाता चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है?

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस									
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा	भुगतान की प्रकृति	स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के भुगतान या प्राप्ति की कुल राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती करना आवश्यक था या (4) में से एकत्र किया जाना आवश्यक था	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई थी या विनिर्दिष्ट दर पर एकत्र किया गया था	(6) में से कटौती किए गए या एकत्रित कर की गई राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई या (7) में से विनिर्दिष्ट दर से कम पर एकत्र किया गया।	(8) पर कटौती किए गए या एकत्र किए गए कर की राशि	कटौती किए गए या एकत्रित किए गए किंतु (6) और (8) में से कर की राशि केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में जमा नहीं की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस का विवरण				
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	यदि प्रस्तुत किया गया है, तो प्रस्तुत करने की तारीख	क्या कटौती किए गए गए या एकत्र किए गए कर के विवरण में उन सभी लेनदेन के बारे में जानकारी है जिन्हें रिपोर्ट करना आवश्यक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज			
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा 201 (1 क) या 206 ग (7) के अधीन ब्याज की राशि देय है।	स्तंभ से भुगतान की गई राशि (2)	भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप 10ख के लिए टिप्पण

- अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vिक) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य चिकित्सा संस्थान या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्थान इस प्ररूप में "संपरीक्षित" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- *क्रम संख्या 6 में, वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चय किया गया है और जिसे नियम 17क के उप-नियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे समाधान के सात दिनों के भीतर लिखित में क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया गया है;
- **क्रम संख्या 9 में, उस धारा के लिए जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित या अनंतिम रूप से अनुमोदित है, निम्नलिखित कोडों में से एक का चयन किया जाएगा (सभी रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन या अधिसूचना का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान मान्य हैं, उपबंध किया जाना चाहिए, तथापि जहां संपरीक्षित को रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन मिला है, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के बाद अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है:

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (क)	1
(2)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ख)	2
(3)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ग)	3
(4)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	4
(5)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	5
(6)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	6
(7)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (ii)	7
(8)	अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (iिक)	8
(9)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (iii)	9
(10)	अधिनियम की धारा 80ख की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	10
(11)	अधिनियम की धारा 80ख की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	11
(12)	अधिनियम की धारा 80ख की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	12
(13)	कोई अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	13

5. # पंक्ति 10 (क) में, स्तंभ (2) में संबंध के लिए निम्नलिखित कोडों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	लेखक	1
(2)	संस्थापक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	समाज के सदस्य	5
(6)	शासी परिषद के सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारकों के पास 5% या अधिक शेयरधारिता है	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

6. ##क्रम संख्या 10 (क), स्तंभ (5) में, और क्रम संख्या 10 (ख) में, स्तंभ (4) में, आईडी कोड के स्थान पर निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार नंबर उपलब्ध है, तो इसे आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

(ख) यदि न तो पैन या आधार उपलब्ध है, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
देश की करदाता पहचान संख्या व्यक्ति कहाँ रहता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालक विज्ञप्ति संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

7. \$ क्रम संख्या 11 में, संपरीक्षिती के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:

क्र. सं.	वस्तु	कोड
(1)	धार्मिक	1
(2)	निर्धन को अनुतोष	2
(3)	शिक्षा	3
(4)	चिकित्सा अनुतोष	4
(5)	योग	5
(6)	पर्यावरण का संरक्षण (वाटर-शेड, वन और वन्यजीव सहित)	6
(7)	संस्मारकों या कला अथवा ऐतिहासिक रुचि के स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण	7
(8)	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किन्हीं अन्य वस्तुओं का संवर्द्धन	8

8. \$\$ क्रम संख्यांक 14(ii) के स्तंभ (2) में, एक या अधिक कोड का चयन किया जाएगा :

क्र.सं.	नियम 17कक में दिए गए अनुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की प्रकृति	कोड
(1)	रोकड़ बही	1
(2)	खाता बही	2
(3)	जर्नल	3
(4)	बिलों की प्रतियां, चाहे मशीन संख्यांकित हों या अन्यथा क्रमांकित हों, जहां कहीं भी ऐसे बिल निर्धारिती द्वारा जारी किए जाते हैं, और निर्धारिती द्वारा जारी किए गए मशीन क्रमांकित या अन्यथा क्रमांकित रसीदों की प्रतियां या काउंटरफांइल	4
(5)	मूल बिल, जहां कहीं व्यक्ति को जारी किए गए और व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में रसीदें	5

(6)	कोई अन्य बही, जिसे व्यक्ति के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है	6
(7)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारवार उपक्रम के लिए क्रम संख्यांक 1 से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	7
(8)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारवार उपक्रम से भिन्न निर्धारिती द्वारा किए गए कारवार के लिए, क्रम संख्यांक 1 से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	8
(9)	व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं और संस्थाओं का अभिलेख, जिसमें उनके नाम, पते और प्रयोजनों का विवरण हो	9
(10)	नियम 17कक(1)(घ)(ii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख	10
(11)	नियम 17कक(1)(घ)(iii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान आय में से आय आदि के उपयोजन का अभिलेख	11
(12)	नियम 17कक(1)(घ)(iv) के अनुसार वर्तमान पूर्ववर्ष से पहले के किसी पूर्ववर्ष की आय में से आय के उपयोजन का अभिलेख	12
(13)	नियम 17कक(1)(घ)(v) के अनुसार विनिर्दिष्ट निर्देश के साथ कि वे समग्र निधि का भाग होंगे, किए गए स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख	13
(14)	धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के प्रयोजन के लिए प्राप्त अभिदाय का अभिलेख, जिसे नियम 17कक(1)(घ)(vi) के अनुसार समग्र निधि के रूप में माना जा रहा है	14
(15)	नियम 17कक(1)(घ)(vii) के अनुसार ऋण और उधार का अभिलेख	15
(16)	नियम 17कक(1)(घ)(viii) के अनुसार संपत्तियों का अभिलेख	16
(17)	नियम 17कक(1)(घ)(ix) के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख	17
(18)	नियम 17कक(1)(घ)(x) के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज, जिनमें कोई अन्य सुसंगत जानकारी अंतर्विष्ट हो।	18

9. ^क्रम संख्यांक 17(ii)(ग) और 18(ii)(ग) में, कारवार उपक्रम या प्रयोजनों के आनुपंगिक कारवार के लिए यथा अनुयोज्य प्ररूप 3गक या 3गख में तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा संपरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करें (अपलोड सुविधा ई-फाइलिंग उपयोगिता प्रदान करेगी)।

10. + आयकर नियम, 1962 के नियम 6ककखक में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ढंग निम्नलिखित ढंग होंगे :

- क. क्रेडिट कार्ड ;
- ख. डेबिट कार्ड ;
- ग. नेट बैंकिंग ;
- घ. आईएमपीएस (तत्काल संदाय सेवा) ;
- ङ. यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ;
- च. आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रांस सेटलमेंट) ;
- छ. एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) ; और
- ज. भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार पे ;

11. ^^क्रम संख्यांक 41 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित एक या अधिक कोड का चयन करें :

क्र.सं.	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास का लेखक या संस्था का संस्थापक ;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति, जिसने न्यास या संस्था को पर्याप्त अभिदाय किया है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति, जिसका सुसंगत पूर्ववर्ष के अंत तक कुल अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	2
(3)	जहां ऐसा लेखक, संस्थापक या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुटुंब का सदस्य है;	3
(4)	संस्था के किसी न्यास का न्यासी या प्रबंधक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;	4
(5)	पूर्वोक्त किसी भी ऐसे लेखक, संस्थापक, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार ;	5
(6)	कोई भी समुत्थान, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का पर्याप्त हित है।	6

12. किसी सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी, डाक घर वचत बैंक द्वारा प्राप्ति या उसको संदाय की दशा में या धारा 269धध में निर्दिष्ट संव्यवहारों की दशा में या अधिसूचना सं0 का.आ. 2065(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में, अनुसूची 269धन में विशिष्टियां दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ;]